

पत्र संख्या:

/प्रवर्तन-2015

दिनांक:

:: परिपत्र ::

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत ऑनलाईन पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु तैयार नये साफ्टवेयर को विभाग द्वारा माह जून-2015 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

अतः श्रम आयुक्त संगठन के समस्त अधिकारियों को एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि कतिपय श्रम अधिनियमों यथा-दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, बीड़ी एवं सिगार अधिनियम, 1966 संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, तथा अन्तरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत इस साफ्टवेयर में जिन अधिष्ठानों द्वारा आनलाईन पंजीकरण/नवीनीकरण कराया गया है/किया जा रहा है, उन समस्त अधिष्ठानों के आवेदन-पत्रों पर आनलाईन पंजीकरण/नवीनीकरण/अंतिम रूप से निस्तारण की कार्यवाही आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश का अनुपालन अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

EO

(शालिनी प्रसाद)

श्रम आयुक्त, उ०प्र०।

पत्र संख्या: 1616-1823 /प्रवर्तन-2015

दिनांक: 12-6-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवन्चू, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ०प्र० उद्योग निदेशालय, कानपुर।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. निदेशक कारखाना/निदेशक, ब्यायलर्स एवं समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
7. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त।
8. समस्त शीर्ष औद्योगिक संगठन, उ०प्र०।
9. समस्त शीर्ष श्रमिक संगठन, उ०प्र०।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय को इस आशय व निर्देश के साथ कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. गार्ड फाइल।

(शालिनी प्रसाद)

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्या:

/प्रवर्तन-2015

दिनांक:

:: परिपत्र ::

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत ऑनलाईन पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु तैयार नये साफ्टवेयर को विभाग द्वारा माह जून-2015 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

अतः श्रम आयुक्त संगठन के समस्त अधिकारियों को एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि इस साफ्टवेयर में जिन अधिष्ठान का आनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है उन अधिष्ठानों के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर किए गये जाँच/निरीक्षण उपरान्त अपनी जाँच/निरीक्षण रिपोर्ट 72 घण्टे के भीतर आनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।



(शालिनी प्रसाद)

श्रम आयुक्त, उ०प्र०।

पत्र संख्या: 1824-2031/प्रवर्तन-2015

दिनांक: 12-6-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवन्यू, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ०प्र० उद्योग निदेशालय, कानपुर।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. निदेशक कारखाना/निदेशक, ब्यायलर्स एवं समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
7. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त।
8. समस्त शीर्ष औद्योगिक संगठन, उ०प्र०।
9. समस्त शीर्ष श्रमिक संगठन, उ०प्र०।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय को इस आशय व निर्देश के साथ कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. गार्ड फाइल।



(शालिनी प्रसाद)

श्रम आयुक्त, उ०प्र०।